

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर(अलवर)

पीठासीन अधिकारी :- महेश चन्द्र मान (R.A.S.)

दावा सख्या  
259/2008रजू दिनांक  
26.08.2008निर्णय दिनांक  
09.01.2018

उनवान

1 रामानन्द

2 दलीप पुत्रान सोनी बेवा फूलसिंह जातियान जाट निवासीयान बीरोद तह0 मुण्डावर जिला अलवर

-: वादीगण

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हौल्डर तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवर

-: प्रतिवादी

दावा:- अर्न्तगत धारा 88 राज0 काश्त0 अधिनियम

-: पचा डिक्री :-

दिनांक :- 09.01.2018

वादीगण की ओर से एडवोकेट श्री महेश यादव व प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 09.01.2018 को महेश चन्द्र मान उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :-

वाद वादीगण बहक वादीगण बरखिलाफ प्रतिवादी डिक्री किया जाता है एवं हाल आराजी ख0न0 427 रकबा 0.24 है0 वाके ग्राम बीरोद तहसील मुण्डावर के बाबत वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुरूप हाल राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।


खर्चा पक्षकारान् अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 09.01.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

  
महेश चन्द्र मान  
उपखण्ड (अधिकारी एवं

पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर

12/3/18 आपका पत्र धारा 152 का निषेध होकर एनीमान होके पर पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर  
आवेदन सं० 457 के बजाय 457 पढा जावे शेष प्रदीत यथावत रहेगा

  
12/03/18  
उपखण्ड अधिकारी  
मुण्डावर (अलवर) राज0